रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 1994/चैत्र 29, 1916
No. 169] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 1994/CHAITRA 29, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 113/94 – सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1994

सा.का.नि. 395(अ) :– केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 52.01 के अधीन आने वाला कच्चा कपास

को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छूट देती है ।

[फा. सं. 357/6/94-टी. आर. यू]
सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 113/94-CUSTOMS

New Delhi, the 19th April, 1994

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw cotton falling under heading No. 52.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.

[F. No. 357/6/94-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994